1
वेतन निर्धारण/संशोधन/उच्चीकरण

विषय सूची			
क्र0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय अवशेष वेतन की राशि का भुगतान की प्रक्रिया विषयक।	सं0 14/XXVII(7)/18–30(7)/2016 दिनांक : 21 जनवरी, 2019	07
2	दिनांक 01.01.2016 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन का निर्धारण विषयक।	सं. 317/XXVII(7)30(2)/2016 TC दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018	08
3	पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।	सं0 11/XXVII/(7)/50(16)/2016 दिनांक : 07 फरवरी, 2018	9–10
4	राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन–भत्तो की अवशेष राशि (एरियर) के सम्बन्ध में।	सं0 274/ XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक : 13 नवम्बर, 2017	11–12
5	वेतन समिति को सन्दर्भित प्रकरणों पर समिति से प्राप्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में।	सं. 220/XXVII(7)50(16)/2014 TC दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017	13
6	राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	सं0 202/ XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017	14–15
7	राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में।	सं0 147/ XXVII (7)27(14)/2012 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2017	16

8	दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0 165 / XXVII(7)30(7) / 2017 दिनांक : 12 सितम्बर, 2017	17–18
9	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।	सं0 139 / XXVII (7)30(07) / 2016 दिनांक : 02 अगस्त, 2017	19
10	वेतन / भत्ते की विसंगति एवं उच्चीकरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में।	सं0 93 / XXVII (7) / 2016 दिनांक : 12 मई, 2017	20
11	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतन एंव भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियां देने हेतु गठित वेतन समिति के सम्बन्ध में।	सं0 32 / XXVii(7)50(16) / 2016 दिनांक : 01 मार्च, 2017	21–22
12	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी जो दिनांक : 01. 01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण।	सं0 12 / XXVii (7)30(15)2017 दिनांक : 03 फरवरी, 2017	23–24
13	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।	सं0 04 / XXVII (7)50(16) / 2016 दिनांक : 04 जनवरी, 2017	25
14	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 की आठवीं कोष्ठिका में टंकण त्रुटि का निराकरण।	सं0 03 / XXVII (7)50(16) / 2016 दिनांक : 03 जनवरी, 2017	26
15	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में प्रदेश के स्वायत्तशासी संस्थाओं (Autonomos Body), जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित है, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में नये वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 295 / XXVII(7)30(12) / 2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	27
16	राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही।	सं0 294 / XXVII(7)30(11) / 2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	28–30
17	जूनियर डाक्टरों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने के विषयक।	सं0 293 / XXVII (7)30(10) / 2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	31

18	कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक।	सं0 292 / XXVII / (7)30 / (9) / 2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	32
19	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों में कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सं0 291 / XXVii(7)30(8) / 2016 दिनांक : 29 दिसम्बर, 2016	33–34
20	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन निर्धारण 2016	सं0 290 / XXVII(7)50(16) / 2016 दिनांक : 28 दिसम्बर, 2016	35–54
21	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गयी संस्तुतियां।	सं0 289(1) / XXVII(7)50(16) / 2016 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016	55–58
22	राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन विषयक शासनादेश संख्या 131 / XXVII(7)35(3) / 2013 दिनांक 14 जुलाई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 204 / XXVII (7)35(3) / 2013 दिनांक : 28 अक्टूबर, 2016	59
23	राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन विषयक।	सं0 131 / XXVII (7)35(3) / 2013 दिनांक : 14 जुलाई, 2016	60–61
24	सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियां देने हेतु वेतन समिति का गठन।	सं0 07 / XXVII(7)50(16) / 2014 दिनांक : 14 जनवरी, 2016	62–64
25	राजकीय वाहन चालक संवर्ग के सीधी भर्ती के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में।	सं0 115 / XXVII (7)23(3) / 2013 दिनांक : 10 अगस्त, 2015	65
26	अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत आशुलिपिको एवं वैक्तिक सहायकों को वेतनमान में संशोधन के सम्बन्ध में।	सं0 58 / XXXVII (2) / 2014–120–एक (1) / 2004 दिनांक 09 सितम्बर, 2014	66
27	मा0 उच्च न्यायालय एवं उसके नियंत्रणाधीन सृजित समस्त अधीनस्थ न्यायालय (कुटुम्ब न्यायालय, ए.सी.जे. एम. रेलवे एवं अन्य विशेष न्यायालयों सहित) में पूर्व सृजित चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के पदों को पुनर्जीवित किया जाना।	सं0 153 / XXVII (7)27(5) / 2010 दिनांक : 25 जून, 2014	67
28	प्रदेश के राजकीय वाहन चालक	सं0 44 / XXVII (7) 27(3) / 2013	68

	सेवा–संवर्ग के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	दिनांक : 31 जनवरी, 2014	
29	समता समिति (1989) की संस्तुतियों के क्रम में आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में वेतन–पुनरीक्षण विषयक **शुद्धि पत्र**	सं0 729 / XXVII (7)35(3) / 2013 TC दिनांक : 24 अक्टूबर, 2013	69
30	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।	सं0 732 /XXVii (7)40(2) / 2010 दिनांक : 25 सितम्बर, 2013	70–72
31	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।	सं0 697 / XXVII (7)30(1) / 08 दिनांक : 11 सितम्बर, 2013	93–75
32	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।	सं0 689 / xxvii(7)30(1) / 08 दिनांक : 11 सितम्बर, 2013	76–82
33	प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग का पुनर्गठन।	सं0 588 / xxvii(7)27(3) / 2013 दिनांक : 01 जुलाई, 2013	83–85
34	दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण किया जाना।	सं0 562 / xxvii(7)50(49) / 2013 दिनांक : 12 जून, 2013	86–87
35	राजकीय विभागों को कनिष्ठ अभियन्ता पद के वेतनमान का संशोधन।	सं0 571 / xxvii(7)27(14) / 2012 दिनांक : 06 जून, 2013	88
36	लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है, के कार्मिकों के वेतन से संहत सीमा हटाया जाना।	सं0 440 / xxvii(7)30(4) / 2013 दिनांक : 18 मार्च 2013	89–90
37	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।	सं0 408 / XXVii(7)27(3) / 2013 दिनांक : 08 फरवरी, 2013	91–92
38	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।	सं0 406 / xxvii(7)27(2) / 2011 दिनांक : 08 फरवरी, 2013	93–94
39	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति	सं0 397 / XXVii(7)14(5) / 2011 दिनांक : 31 जनवरी, 2013	95–96

	वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 पदों पर समायोजित किये जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।		
40	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।	सं0 373 / xxvii(7)27(2) / 2013 दिनांक : 16 जनवरी, 2013	**97–98**

(7)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः /XXVII(7)/18–30(7)/2016
देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय अवशेष वेतन की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न प्रकिया के तहत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2019 से किया जाय।

(2) देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए शेष राशि सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। जमा राशि केवल ऐसे मामलों, जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।

(3) नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तद्नुसार देय अवशेष धनराशि के 10% धनराशि के बराबर धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात् नकद भुगतान की जायेगी।

(4) ऐसे कार्मिक जिनका भविष्य निर्वाह खाता न खुला हो, अथवा मृत्यु, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति आदि के कारण सेवा से मुक्त हो चुके हों, या जिनकी सामान्य भविष्य निधि की कटौती बन्द हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान नियमानुसार आयकर कटौती के पश्चात् किया जायेगा।

2. कृपया उक्तानुसार अवशेष देयकों (एरियर) का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अगले वित्तीय वर्ष हेतु कोई देयता न रखी जाय।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 14 (1)/XXVII(7)/18–30(7)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
14. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रेषक, संख्याः 317 /XXVII(7)/30(2)/2018 टी.सी.

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

विषयः दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–41/XXVII((7)सी0भर्ती0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिए उक्त वर्णित शासनादेश में वर्णित तालिकाओं के अनुसार विभिन्न वेतन बैण्डों में अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात् प्रोन्नत कार्मिकों के वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 20108 के नियम–12 में प्राविधानित की गयी है।

3. समान ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण हेतु अलग–अलग व्यवस्थायें लागू होने के फलस्वरूप कतिपय प्रकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने वाले वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक निर्धारित होने के प्रकरण शासन को प्राप्त हो रहे हैं।

4. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय–ज्ञापन संख्या–8-23/2018.ई.III–ए दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त एवं उक्त तिथि के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों के वेतन निर्धारण में उत्पन्न विसंगति को दूर किया गया है।

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नत कार्मिक का वेतन समान ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिक के शुरूआती वेतन से कम निर्धारित होता है तो उसका शुरूआती वेतन भी पदोन्नति की तिथि से शासनादेश संख्या–41/XXVII (7)सी0भर्ती0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में उल्लिखित समकक्ष ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा।

6. उक्त लाभ ऐसे पदोन्नत कार्मिकों को उनकी पदोन्नति की तिथि से नोशनली एवं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से वास्तविक रूप से अनुमन्य होगा।

7. उक्त व्यवस्था के आलोक में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के मध्य ऐसे पदोन्नत कार्मिकों को, जो इस मध्य सेवानिवृत्त अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निधारण हेतु उनकी पदोन्नति की तिथि से सेवानिवृत्ति अथवा पद त्याग की तिथि तक नोशनली वेतन निर्धारित करते हुये पेंशन पुनर्निर्धारित की जाय। उक्त कार्मिकों को उक्त लाभ अन्य सेवालाभों यथा ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, राशिकरण के पुनर्निर्धारण हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

(12) (9)

संख्या: /XXVII(7)50(16)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून, दिनांक:07 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018

विषय: पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर वेतन निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–22–(बी)(1) के अन्तर्गत प्राविधानित है। किसी सरकारी सेवक के किसी अन्य पद जिसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके द्वारा धृत पद से सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो, पर नियुक्ति/पदोन्नति पर शासनादेश सं0–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसके विकल्प के अनुसार पदोन्नति की तिथि को अथवा उसकी अगली वेतनवृद्धि की तिथि को कमशः मूल नियम–22–(ए)(1) एवं 22–(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

2– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिए गठित वेतन समिति की संस्तुतियों पर दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 अथवा समयमान/चयन वेतनमान की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम–22(बी)(1) एवं 22(ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा।

3– उक्तानुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त आगामी वेतन वृद्धि की तिथि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–10(3)में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कमशः..........2

संख्याः ।। /XXVII(7)/50(16)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग– 7
संख्याः — /XXVII(7)30(7)/2016
देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन–भत्तों की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें निम्न प्रकियाओं का समावेश किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रथमतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरांत आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही हैं।"
3. यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 81 (3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
5. इस अवधि में विभागीय वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/जिन अन्य पदनामों से संबंधित विभाग में वित्त सेवा के अधिकारी तैनात हों, वे सभी अपने–अपने विभाग में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टैस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।
6. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन/भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।
7. पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप में किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि संबंधित पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई रिकवरी की स्थिति बनती है तो वह नियमानुसार कर ली जाय।

2– उक्त वर्णित शासनादेश संख्या– 202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या– २७५ /XXVII(7)30(7)/2016/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: २२०/xxvii(7)50(16)/2014T

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण विभाग/सिचाई/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक: 3 / अक्टूबर, 2017**

विषय: वेतन समिति को सन्दर्भित प्रकरणों पर समिति से प्राप्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति को सन्दर्भित प्रस्ताव, जिसमें भारत सरकार में अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 में उच्चीकृत होने के दृष्टिगत राज्य में भी अभियत्रण विभागों में सृजित अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान उक्तवत उच्चीकृत किए जाने की माग की गई, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/संबधित कर्मचारी संगठन के साथ हुए विचार–विमर्श तथा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा भारत सरकार से पूर्व स्थापित समरूपता के आधार पर अभियन्त्रण विभागों में सृजित अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 7600 को वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 में उच्चीकृत किए जाने की संस्तुति की गई है।

3. शासन द्वारा समिति की संस्तुति को स्वीकार किए जाने के कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित प्रकरण पर वेतन समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुति के कियान्वयन हेतु विभागीय आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जाय। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय: राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की अवशेष (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया के तहत भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तथा 01 जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। उक्त जमा राशि केवल ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
3. ऐसे कार्मिक, जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
4. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नकद भुगतान की जायेगी।
5. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए है, को उक्त अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त नकद रूप में किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या– /XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(16)

संख्या– / XXVII(7)27(14)/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2017

विषयः राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–571/XXVII(7)27(14)2012 दिनांक 06 जून, 2013 द्वारा राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता (वेतनमान रू0 9300–34800) का ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– में दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से काल्पनिक (Notionally) एवं दिनांक 01 मार्च, 2013 से वास्तविक रूप से उच्चीकृत किया गया है।

2. उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 06 जून, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय सेवा में नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4600/– का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2009 से काल्पनिक रूप से तथा दिनांक 01 मार्च, 2013 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 06 जून, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–147/XXVII(7)27(14)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त आहरण–वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(17)

संख्या–165/XXVII(7)30(7)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक : 12 सितम्बर, 2017

विषय : दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए तालिका लेवल–13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700/–के लिए निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2017 के क्रम में अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा जारी उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700/– के लिए संलग्नक की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल–13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ–3 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या-165 /XXVII(7)30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

संख्या–139 / XXVII(7)30(07)/2016

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 02 अगस्त 2017

विषय: उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–1662/16/(04)/खण्ड–2/कोषा0/दे0दून/ नि0को0पे0ह0/2017 दिनांक 27 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 का प्रस्तर–13 शिक्षकों पर लागू होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के प्रस्तर–13 पर दी गई व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है। यह व्यवस्था शैक्षणिक पदों के कार्मिकों पर भी लागू होगी। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(10)

संख्या–93/XXVII(7)/201

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 12 मई, 2017

विषयः– वेतन/भत्ते के विसंगति एवं उच्चीकरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि अधिकांश प्रशासनिक विभागों के माध्यम से वेतन विसंगति एवं वेतनमान उच्चीकरण के प्रकरण वित्त विभाग के माध्यम से वेतन समिति को संदर्भित किये जा चुके हैं।

2. इस सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा अपनी संस्तुति दिये जाने के उपरान्त ही वित्त विभाग द्वारा अपना मत स्थिर करके निर्णय लिया जा सकेगा। सातवें पुनरीक्षित वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति की रिपोर्ट वित्त विभाग में प्राप्त होने के पश्चात राज्य में सातवें पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जा चुके है। वेतन विसंगति/वेतनमानों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में वेतन समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति की संस्तुतियों पर वित्त विभाग द्वारा अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने तक वेतन विसंगति/वेतनमान उच्चीकरण/भत्तों के प्रकरण वित्त को संदर्भित न किये जायें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

(21)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या 32 /XXVii(7)50(16)/2016
देहरादूनः दिनांक 01 ~~दिसम्बर~~ मार्च 2017

संकल्प

विषय :– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ देने हेतु गठित वेतन समिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के संकल्प पत्र संख्या 07/XXVii(7)50(16)/2014, दिनांक 14 जनवरी, 2016 तथा संकल्प पत्र संख्या 201/XXVii(7)50(16)/2014, दिनांक 7 सितम्बर, 2016 में वेतन समिति के विचारण हेतु संकल्प दिनांक 14 जनवरी, 2016 के प्रस्तर–2 के उपबन्ध–10 के कम में पूर्व निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर भी अध्ययन कर अपनी युक्तिसंगत संस्तुति करेगी :–

1. उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त वित्तीय नियमों, प्रकियाओं, वित्तीय सीमाओं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हुए परिवर्तनों एवं ऐसे नियम/प्रकिया जो वर्तमान के आलोक में अब अप्रसांगिक हो चुके हैं, के सदंर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, बजट मैनुअल, विभिन्न वित्तीय मैनुअलों एवं वित्तीय नियमावलियों आदि में वर्णित नियमों/उपनियमों में यथा आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में अध्ययन एवं संस्तुति।
2. वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से सभी विभागों के लिए एक सामान्य वित्तीय रूल्स(GFR) पर अध्ययन एवं संस्तुति।
3. वर्तताान में लागू अधिप्राप्ति के नियमों, प्रकियाओं का अध्ययन करके गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों में अधिप्राप्ति के वर्तमान में प्रचलित मार्डन एवं पारदर्शी सिस्टम को सरकारी अधिप्राप्तियों के लिए अपनाये जाने पर अध्ययन एवं संस्तुति।
4. सरकारी तंत्र में वर्तमान में लागू अधिकारों के प्रतिनिधायन का अध्ययन करके इसके स्वरूप को और अधिक सार्थक बनाये जाने के परिपेक्ष्य में इसमें यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्धन पर अध्ययन एवं संस्तुति।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

1. यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट में विज्ञाप्ति किया जाय।
2. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।
3. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
4. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जाये।
5. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जायें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

23

संख्या– /xxvii(7)30(15)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक 03 फरवरी, 2017

विषयः दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं एवं पूर्व में उनके अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त होने वाले वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई राहत तथा शुद्ध पेंशन का भुगतान उन्हें किया जा रहा है।

2– राज्य एवं केन्द्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा इसके उपरान्त पुनर्योजित कार्मिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार में जो रीति पूर्व में अपनायी गयी थी, उसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य के अन्य संवर्ग के ऐसे पुनर्योजित अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि के पूर्व अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित थे/हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

3– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

(क)– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.2016 को उन्हें पूर्व में प्राप्त अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण नयी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016 से यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।

(ख)– दिनांक 01.01.2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा तद्विषयक में निर्गत नियम/शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।

(ग)– उप प्रस्तर–(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर–(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन/पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त अधिकारी के पुनरीक्षित वेतन संरचना में

निर्धारित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(घ)– अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्ति कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो राज्य सरकार में संबंधित अधिकारियों का वेतन तद्नुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजित कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(ङ)– सेवानिवृत्त के उपरान्त जो कार्मिक दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त पुर्ननियुक्ति हुए हैं, की पेंशन को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित करने पर यदि अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिक भुगतान की धनराशि को पेंशन के अवशेष ऐरियर से समायोजित किया जायेगा। पेंशन के ऐरियर से समायोजन के उपरान्त भी अधिक भुगतान की धनराशि समायोजन के लिए अवशेष रह जाती है, तो उसे एक वर्ष में समान किस्त निर्धारित करके मासिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 12 /XXVII(7)30(15)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(25)

संख्या– / XXVII(7)50(16)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः ०५ जनवरी, 2017

विषयः– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016"** प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. पूर्व में यह देखा गया है कि वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा गलत वेतन निर्धारण किये जाने के कारण शासन को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है एवं कतिपय मामलों में न्यायालयों में विधिक वाद का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण ekosh.uk.gov.in में साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाय। जिससे किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो और नियमों के आलोक में सभी कार्मिकों का वेतन निर्धारण समान रुप से किया जा सके। साथ ही किसी कार्मिक को गलत वेतन निर्धारण किये जाने की शिकायत का मौका भी न मिले।

3. उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि निदेशक, कोषागार के web Portel पर उल्लिखित ekosh.uk.gov.in में वेतन निर्धारण सम्बन्धी साइट में वांछित सूचना अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि इस माह का वेतन नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में निर्धारित करते हुये राज्य कार्मिकों को उक्त का लाभ अनुमन्य किया जा सके।

4. उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की अस्पष्टता/कठिनाई/सुझाव हो तो कृपया ekosh हेल्प लाइन नं0 0135-3041613 एवं 88 99 89 00 00 से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–०५ /XXVII(7)50(16)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(16)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 03/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016"** प्रख्यापित किये गये हैं जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2– उक्त अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) के स्तर–4 (ग्रेड वेतन 2400) की आठवीं कोष्ठिका में टंकण त्रुटिवश **"31400"** के स्थान पर **"41400"** टंकित हो गया हैं। अतः वेतन स्तर–4 की आठवीं कोष्ठिका में टंकित धनराशि **"41400"** के स्थान पर **"31400"** पढ़ी जाय।

3– उक्त वेतन नियम की संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः 03 /XXVII(7)50(16)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–275/XXVII(7)30(12)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में प्रदेश के स्वायत्तशासी संस्थाओं (Autonomos Body), जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित है, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में नये वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तराखण्ड, (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थायें जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित हैं, के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुति की है। उक्त संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग, पूर्व की भांति स्थापित मानकों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं–

(क) प्रक्रियात्मक व्यवस्था–

ऐसी स्वयत्तशासी संस्थायें जो व्यवसायिक कार्य नहीं कर रही हैं तथा पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उनके लेखे पूर्ण होने एवं बजट की उपलब्धता होने पर उनके कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से, वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में नया वेतन मैट्रिक्स निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(ख) उक्त (क) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण होने पर कियान्वयन विधि–

(1) ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो, वेतन का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम–2016 में निहित प्रकिया के अनुसार किया जाय।

(2) अवशेष देयकों के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त के कम में संबंधित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(28)

संख्या–२९५/XXVII(7)30(11)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
पंचायतीराज विभाग/शहरी विकास विभाग/
पेयजल विभाग/आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः– **राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही।**

महोदय,

कार्मिकों के वेतन/भत्तों के पुनरीक्षण हेतु राज्य में गठित वेतन समिति ने प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों/जल संस्थानों/विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुतियॉ की है। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति में निम्न बिन्दु इंगित किये गये हैः–

1. वेतन समिति द्वारा अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया है कि आर्दश स्थिति में नगर निगम एवं जिला पंचायतों का प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत, नगर पालिका का 20 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों का 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए, लेकिन उक्त मानदण्डों में कोई भी संस्था खरी नहीं उतर रही है। नगर निकायों की आय व वेतन/पेंशन आदि का व्ययभार लगभग बराबर है और अवसंरचना/विकास कार्यों सहित नागरिक सेवाओं को बनाये रखने के लिये उन पर वित्तीय संसाधन अपर्याप्त हो जाना इंगित हो रहा है।

2. प्रत्येक निकाय में वार्षिक संपरीक्षित लेखा व तुलन पत्र अध्यावधि होने, लेखा डबल एन्ट्री व्यवस्था अन्तर्गत बनाये जाने व इस हेतु यूनीफार्म साफ्टवेयर का उपयोग करने आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि नगर निकायों में वार्षिक लेखा व उनकी सम्परीक्षा अध्यावधि पूर्ण नहीं है।

3. पूर्व में सभी नगर निकायों में छठे वेतनमानों के अनुरूप कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं। पुनरीक्षित वेतनमानों से बढ़ने वाले व्ययभार सहित नागरिक सेवाओं व अवसंरचना/विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता बनी रहे इस दृष्टिकोण से नगर निकायों के सम्बन्ध में एकाधिक उपचारात्मक कार्यवाही व आय बढ़ाने की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। इस प्रतिबन्ध सहित प्रत्येक नगर निकाय के सम्बन्ध में उनके वार्षिक संपरीक्षित लेखा/तुलन पत्र अध्यावधि पूर्ण कर लेने तथा आर्थिक स्थिति उपयुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य करने पर विचार किया जाय।

4. जिला पंचायतों की निजी स्रोतों से प्राप्त आय अपने कर्मचारियों के वेतन आदि कार्यों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और इस दृष्टि से सातवें वेतनमान लागू करने के लिए उनके अपने वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होंगे।

5. समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला पंचायतों के वार्षिक संपरीक्षित लेखा अध्यावधि पूर्ण होने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं दी गई है। लेखा डबल एन्ट्री व्यवस्था से तैयार किये जा रहे हैं एवं कोई एकरूप (Uniform) साफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं यह सूचना भी नहीं दी गई है। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने से पूर्व प्रत्येक जिला पंचायत के वार्षिक संपरीक्षित लेखा अध्यावधि पूर्ण कर लेने, लेखा डबल एन्ट्री से यूनिफार्म साफ्टवेयर से बनाये जाने की कार्यवाही करने सहित वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जाय।

6. स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सर्वप्रथम इन संस्थाओं के बोर्डों के द्वारा वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जिसमें वित्तीय भार वहन किये जाने के उपायों तथा प्रशासनिक व्यय को कुल आय के 50 प्रतिशत से कम लाने के उपायों के संबंध में स्पष्ट कार्य योजना भी बनायी जाए।

2– सभी शर्तें पूर्ण होने पर एवं स्थापित मानकों के अधीन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत/स्थानीय निकाय/जल संस्थान/विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के नियमित कार्मिकों, जिन्हें पूर्व में राज्य सरकार के कार्मिकों के समान वेतनमान अनुमन्य है, को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में निहित प्रकियानुसार निम्न वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नयी वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स यथाप्रकिया स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/जल संस्थान/विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित बोर्ड से पारित प्रस्ताव के क्रम में नये वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया आदेश जारी किये जायेंगे।
2. उक्त पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान किये जाने पर सम्बन्धित निकाय/संस्थान/प्राधिकरण द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
3. उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों तथा Devolution से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(31)

संख्याः 293/XXVII(7)30(10)/201

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 30 **दिसम्बर, 2016**

विषयः **जूनियर डाक्टरों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक।**

महोदय,

जूनियर डाक्टरों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक राज्य में गठित वेतन समिति की संस्तुतियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार किया गया है।

2– समिति की संस्तुति के क्रम में जूनियर रेजीडेन्ट डाक्टरों/सीनियर रेजीडेन्ट डाक्टरों का वेतनमान निम्नवत् निर्धारित किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य दर	सातवें पुनरीक्षित वेतनमान संशोधित दर
जूनियर रेजीडेन्ट	15600+5400=21000	रू0 56100
सीनियर रेजीडेन्ट	15600+6600=22200	रू0 67700

3– कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(32)

संख्याः 292/XXVII(7)/30(9)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

विषयः **कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक।**

महोदय,

कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक राज्य में गठित वेतन समिति की संस्तुतियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार किया गया है।

2– समिति की संस्तुति के कम में कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों का वेतनमान निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान में अनुमन्य दर		सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधित दर (रू0 में)
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	4440–7440	18000
–1 एस	5200–20200	18000
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	19900
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	21700
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	25500
वेतन बैण्ड–1	5200–20200	29200
वेतन बैण्ड–1	9300–34800	35400

3– कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(33)

संख्या \ /xxvii(7)30(8)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून दिनांक: २१ दिसम्बर, 2016**

विषयः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 27.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित संकल्प दिनांक 27.12.2016 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी हैं।

3– उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे नियमित कार्मिक, जिन्हें सरकारी सेवकों की भांति छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य हैं, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सम्बन्धित निगम/उपक्रम के बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– वेतन समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो उपक्रम/निगम वी.आई.एफ.आर. में संदर्भित है और उनके द्वारा इस हेतु पंजीकृत किये गये हैं अथवा समापन की प्रक्रिया में हैं अथवा विचाराधीन हैं, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

5– उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के कम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जहॉ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो तो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में दी गयी प्रकियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या २१। /xxvii(7)30( )/2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के अधीन गठित निगमों/उपकमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नये वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से यथाप्रकिया अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(35)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–२७०/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून : दिनांक २८ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियों जिन पर ये नियम लागू होंगे:– 2. (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:–

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू0सी0जी0/ए0आई0सी0टी0 एवं आई0सी0ए0आर0 के प्राविधिानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें अंशदायी निधि में से भुगतान किया जाता है;

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं

3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

<u>स्पष्टीकरण–</u> ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर

4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण

5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैंण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण–1 इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1) नियम–5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया हैं।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

टिप्पणी–1 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप–नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय–सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया हैं यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

7. (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:–

(क) **सभी कर्मचारियों के मामले में**

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरुपी (Corresponding) कोई समरुप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण–एक)

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने दिनांक 01–01–2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है:–

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंडः पीबी–1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतनः 10160
4. विद्यमान मूल वेतनः 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतनः 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4
7. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): **32300**

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300**	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) **चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है**, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगाः

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप–खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 21000X2.57 = 53970
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125%)

वेतन बैंड	15600–39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

9. कम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533 10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10 11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): 61300 12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250 13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरुपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा:–

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)
4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800
5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800) 6. कम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित) 7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5 8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	**33900**
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01–01–2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी कांडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (1) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा–निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (Identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया हैं, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि

9. वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में **32300** रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन **33300** हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300** ⇩	37000
10	23500	26000	28400	**33300**	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

10. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भाँति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम–7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेबल की लम्बत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

<u>उदाहरण:</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रकियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700

3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में

4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (ऐरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति

16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन

17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची–1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40800	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62900	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–78000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	–	–
10	11	12	13	13क	15	16	17
56100	67700	78600	118500	131100	144200	182200	225000
57600	69700	81200	122100	135000	148500	187700	
59600	71800	83600	125900	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100	
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600	
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96600	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
90000	108800	126600	190200	210300			
92700	112100	130400	195900	216600			
95500	115500	134300	201800				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107500	130100	151100					
110700	134000	155600					
114000	138000	160300					
117400	142100	165100					
120900	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180500					
132000	160000	185900					
136000	164800	191500					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177500							

अनुसूची–2

विकल्प का फॉर्म

{नियम 6(2) देखें}

1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैं, _____ अपने निम्न–उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रूपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/_____ के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ,

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

कार्मिक संख्या _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

कार्मिक संख्या _____

दिनांक:

स्थान:

55

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– /XXVII(7)30(7)/2016
देहरादून : दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

संकल्प

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) का प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गयी संस्तुतियाँ।

भारत सरकार में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी संस्तुतियां 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की गयी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों के कम में राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतनमानों/भत्तों के पुनरीक्षण हेतु संस्तुति देने हेतु संकल्प संख्या–07/XXVII(7)50(16)/2014 दिनांक 14 जनवरी, 2016 द्वारा श्री इन्दु कुमार पाण्डे, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन किया गया। वेतन समिति ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक के रूप में अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की गयी।

शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में सरकारी सेवकों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, सहायतित व स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों/उपकमों, स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों तथा राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न के अधीन रहते हुए स्वीकार कर लिया गयाः–

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी।

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण एवं वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(3) मँहगाई भत्ते के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी। इस कम में दिनांक 01 जनवरी, 2016 को पूर्व वेतनमानों में देय मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा तथा दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दो प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया।

(4) राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं आई.सी.ए.आर. के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को यदि पूर्व से ही राज्य कार्मिकों के समान वेतनमान दिये जा रहे हैं तो उनको भी पुनरीक्षित वेतन संरचना

(वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(5) जूनियर रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट चिकित्सकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(6) कार्यप्रभारित कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार की गयी।

(7) सहायतित व स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक निगम/उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों आदि के सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।

(8) राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधाओं (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) की पूर्व में अनुमन्य हो रही धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) मेंयथावत् बनाये रखने की वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(9) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में पदों पर भर्ती एवं पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन संरचना में सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

(10) राज्य के पेंशनरों/पारिवरिक पेंशनरों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन राशिकरण/पारिवारिक पेंशन/मंहगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, Exgratia Lumpsum Compensation तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि, जो केन्द्र के समान देय हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान दिये जाने की वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(11) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2015/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर दिया जायेगा, परन्तु इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स निम्न पर लागू नहीं होगी:–

(i) न्यायिक सेवा के अधिकारी।

(ii) स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक (यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं आई.सी.ए.आर. के वेतनमानों से आच्छादित पद)।

(iii) कार्य प्रभारित कार्मिक।

(iv) स्वशासी संस्थाओं के कार्मिक।

(v) जूनियर डाक्टर्स।

(12) समिति की अन्य संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(13) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सामान्य आदेश, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते तथा अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

(14) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(15) जहां कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

(16) अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित वेतन और उससे जुड़े मामलों के बारे में उचित कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी। जिससे कि इन मामलों में लिये गये तथा उन सेवाओं पर प्रयोज्य निर्णयों को लागू किया किया जायेगा।

(17) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्वसाय व निष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करते हुए प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिये उत्तराखण्ड सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प राज्य सरकार के ई–कोष की वेबसाइट पर रखा जाय और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–289(1)/XXVII(7)50(16)/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(59)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः /XXVII(7)35(3)/2013
देहरादूनः दिनांकः २४ अक्टूबर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन विषयक शासनादेश संख्या–131/XXVII(7)35(3)/201 दिनांक 14 जुलाई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् स्टाफिंग पैट लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)		वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
		वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	48	44
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	35	35
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	15	15
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100	5400	02	06

2. वैयक्तिक सहायक के पद हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ हिन्दी आशुलिपिक में गति 80 शब्द प्रति मिनट तथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ ही कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान डी0ओ0ई0 ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित एक वर्षीय कम्प्यूट पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

3. सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में यथाप्रकिया संशोधन कर लिये जायं।

4. कृपया उक्तानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष् करें।

5. ऊपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या–131/XXVII(7)35(3)/2013 दिनांक 14 जुलाई, 2016 सपठित शासनादे संख्या–875/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 8 मार्च, 2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–२०५ / XXVII(7)25(3)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

(160)

संख्या 131 /XXVII(7)25(3)/2013

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 14 जुलाई, 2016

विषय : राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन विषयक।

महोदय,

स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 875/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तराखण्ड वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी महासंघ की मांगों पर विचार करते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में विद्यमान त्रि–स्तरीय ढांचे के स्थान पर निम्नानुसार चार–स्तरीय संवर्गीय ढांचा पुनर्गठित किया जाय :–

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रू0)		पदों का प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया
		वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200	2800	48	(1) सीधी भर्ती द्वारा। (2) शैक्षिक अर्हता– पूर्ववत्।
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	35	वैयक्तिक सहायक के पदों पर मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रुप में न्यूनतम 08 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	15	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदों पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने इस रुप में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कुल 15 वर्ष की

					नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100	5400	02	वैयक्तिक अधिकारी के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

3. कलेक्ट्रेट एवं मण्डलायुक्त कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पूर्व सृजित पदों में से ही मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के पदनाम से वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 में 01–01 पद रखा जाय।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5. सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा यथासमय/यथाप्रक्रिया सुसंगत सेवा नियमावली में उक्तानुसार संशोधन कर लिया जाय।

6. ऊपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 875/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 131 / XXVII(7)27(3)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव

(62)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 07 / XXVII(7)50(16) / 2014
देहरादून : दिनांकः 14, जनवरी, 2016

संकल्प

विषयः– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ देने हेतु वेतन समिति का गठन।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण तथा नीचे दिये गये बिन्दुओं पर युक्तियुक्त संस्तुति करने के लिए श्री इन्दु कुमार पाण्डे (आई0ए0एस0), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। वेतन समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें:–

1– श्री शरद चन्द्र पाण्डे, (सेवानिवृत्त निदेशक कोषागार) – सदस्य।

2– श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, (सेवानिवृत्त निदेशक कोषागार) – सदस्य।

3– डा0 एम0सी0 जोशी, सचिव वित्त – सदस्य सचिव।

2– समिति के विचारार्थ निम्न बिन्दु होंगेः–

1. निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में लागू वेतनमानों के आधार पर संस्तुति–

(i) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी।

(iii) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।

(iv) सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी तथा अधिकारी।

2. ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां।
3. जूनियर डॉक्टर एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्तुतियां।
4. समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन (ACP) का पुनार्वलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुतियां।
5. कार्मिकों को प्राप्त/अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधायें।
6. राज्य कर्मचारियों का पेंशन ढांचा तथा अन्य पेंशनरी लाभ।
7. राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कार्मिकों की क्षमता वृद्धि आदि पर विशेषज्ञों के सुझावों के आलोक में समिति संस्तुति करेगी।
8. समिति द्वारा की जानी वाली संस्तुतियों के कम में राज्य सरकार पर पड़ने वाले व्ययभार का आंकलन।
9. उपर्युक्त संस्तुतियॉ करते समय कार्मिकों के वेतन विसंगति के प्रकरणों का परीक्षण एवं सातवें वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में उन पर सुझाव।
10. ऐसे विशिष्ट/अन्य मामले जो शासन द्वारा समय–समय पर संदर्भित किये जायें।

3– समिति उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त राज्य के विकासात्मक एवं काल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, को भी ध्यान में रखेगी। समिति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी।

4– समिति का मुख्यालय उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में होगा और विचार–विमर्श के लिये वह समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी समिति ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त समिति किसी बिन्दु पर किसी सक्षम अधिकारी/विषय विशेषज्ञ को विचार–विमर्श हेतु आमंत्रित करने के लिए अधिकृत होगी।

समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान एवं पेंशन के विषय में पूर्व से स्थापित समतुल्यता के आधार पर तथा सन्दर्भित अन्य विषयों पर अपना प्रतिवेदन शासन को 12 माह के भीतर शासन को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

1. यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
2. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।
3. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
4. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जायें।
5. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपकमों को भी भेजी जायें।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

संख्याः 115 /XXVII(7)27(3)/2013

(65)

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7

देहरादूनः दिनॉक 10 अगस्त, 2015

विषयः राज़कीय वाहन चालक संवर्ग के सीधी भर्ती के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–588/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं संपठित शासनादेश संख्या 44/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजकीय वाहन चालक के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त कार्मिक (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900) को 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन रू0 2400, 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन रू0 2800 एवं 18 वर्ष की सन्तोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा 20 वर्ष की सन्तोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किया गया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के वाहन चालक के सीधी भर्ती के पद का वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 को वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त वर्णित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जांय। शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगें। सम्बन्धित विभागों द्वारा तद्नुसार चालक संवर्ग की सुसंगत सेवा नियमावली में उक्तानुसार यथासमय यथाप्रक्रिया संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(66)

संख्या-58/XXXVI(2)/2014-120-एक(1)/200

प्रेषक,

मनीष मिश्र,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 9 सितम्बर, 2014

विषय- अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत आशुलिपिकों एवं वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-181/XXXVI(2)2008-120-एक(1)/04, दिनांक 6.10.2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोशिएशन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों का पदनाम स्तम्भ-3 के अनुसार करते हुए स्तम्भ-4 के स्थान पर स्तम्भ-5 के अनुसार वेतनमान में परिवर्तन किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र० सं०	पूर्व पदनाम	वर्तमान पदनाम	वेतनमान	संशोधित वेतनमान	स्तम्भ-5 के सादृश्य वर्तमान वेतनमान एवं ग्रेड-पे	
1	2	3	4	5	6	
1	स्टेनोग्राफर(लघुवाद न्यायालय /मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविलजज (सी०डि०)) से सम्बद्ध	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	4000-6000	5500-9000	9300-34800	4200
2	वैयक्तिक सहायक(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	5500-9000	7450-11500	9300-34800	4600

2- उपरोक्त संशोधिक वेतनमान दिनांक 1.4.2003 से देय होंगे ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-390/XVII(7)/2014,दिनांक 9 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव ।

(67)

संख्याः \ /XXVII(7)27(5)/2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल,
नैनीताल ।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांकः 25 जून, 2014

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय एवं उसके नियंत्रणाधीन सृजित समस्त अधीनस्थ न्यायालय (कुटुम्ब न्यायालय, ए0सी0जे0एम0 रेलवे एवं अन्य विशेष न्यायालयों सहित) में पूर्व सृजित चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के पदों को पुनर्जीवित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–877/XXVII(7)च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 जिसमें समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1800/– ग्रेड वेतन का एकमात्र पद **डाईग कैडर** घोषित किया गया है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–877/XXVII(7)च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए मा0 उच्च न्यायालय एवं उसके नियंत्रणाधीन सृजित समस्त अधीनस्थ न्यायालय (कुटुम्ब न्यायालय, ए0सी0जे0एम0 रेलवे एवं अन्य विशेष न्यायालयों सहित) में पूर्व सृजित चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के पदों को पुनर्जीवित करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति यथाप्रक्रिया किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव ।

संख्याः 153/XXVII(7)41/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः ५५ /xxvii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 31 जनवरी, 2014

विषयः– प्रदेश के राजकीय वाहन चालक सेवा–संवर्ग के पुर्नगठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–588/xxvii(7)27(3)/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य की गयी थी। शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के वाहन चालकों के सेवा–संवर्ग को 05 ग्रेडों में विभाजित संबंधी लागू व्यवस्था के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2– वाहन चालकों को 04 श्रेणियों में सीधी भर्ती के पद ग्रेड वेतन रू0 1900 से क्रमशः 09 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2400, 15 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 2800, 18 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4200 एवं 20 वर्ष पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– पदोन्नति की स्थिति में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–12 में पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

4– उपरोक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

(69)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या–729/XXVII(7)35(3)/2013 TC
देहरादून दिनांक २५ अक्टूबर 2013
कार्यालय –ज्ञाप/शुद्धि–पत्र

समता समिति (1989) की संस्तुतियों के कम में वेतन–पुनरीक्षण के पूर्व जो पद तत्कालीन अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 470–735 में थे और जिनका वेतनमान रू0 1200–2040 पुनरीक्षित किया गया था, के संदर्भ में संशोधित रूप में पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1350–2200 अनुमन्य किये जाने संबंध तत्कालीन राज्य सरकार (उ0प्र0 शासन) के निर्णय विषयक अर्ध्द शा0 पत्र सं0 वे0आ0–1–258(1)/दस –101(एम)/टी.सी.–1 दिनांक 24 जनवरी 1991 के कम में आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–109/XXVII(7)/ 2006 दिनांक 29 जून 2006 तथा तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण विषयक पत्र संख्या–145/ XXVII(7)/06 दिनांक 05 सितम्बर 2006,संख्या– 270/XXVII(7)/06 दिनांक 15 नवम्बर 2006 एवं संख्या–489/XXVII(7)/2010 दिनांक 12 मार्च 2010 में उपर्युक्तानुसार संशोधित रूप में पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1350–2200 की अनुमन्यता हेतु "दिनांक 01–01–1986 के/से पूर्व" का उल्लेख है, जबकि समता समिति (1989) की संस्तुतियों को लागू करने के लिये सामान्य नीति उक्त कट–आफ–डेट (01.01.1986 के/से पूर्व) की नहीं थी, बल्कि कट–आफ–पीरियड (01.01.1986 से 31.03.1989 तक) की रही है, जैसा कि समता समिति (1989) के प्रसंग में शासन के संकल्प संख्या–वे0आ0–1–1739/दस–89–41(एम)/86 दिनांक19 मई 1989 के प्रस्तर–1(8)/ प्रस्तर–2 तथा शासनादेश संख्या–वे.आ.–1–1763/दस–39(एम)/89 दिनांक 03 जून 1989 के प्रस्तर–1/प्रस्तर–3(2) /प्रस्तर –3(7)/प्रस्तर–4(1)/प्रस्तर–4(2) में उल्लिखित/प्रावधानित है।

2– अतएव उपर्युक्त स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल **उक्त शासनादेश दिनांक 29 जून 2006 तथा स्पष्टीकरण/पत्र दिनांक 05 सितम्बर 2006, 15 नवम्बर 2006 एवं 12 मार्च 2010 और तद्कम में विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत शासनादेशों में, जहॉ संशोधित रूप में पुनरीक्षित वेतनमान रू0 1350–2200 की अनुमन्यता हेतु "दिनांक 01.01.1986 के/से पूर्व" का उल्लेख है, के स्थान पर प्रारम्भ से ही "दिनांक 01.01.1986 से 31.03.1989 तक" पढ़े/समझे जाने की सहर्ष स्वीकृति** प्रदान करते हैं।

3– तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश/स्पष्टीकरण उक्त सीमा तक प्रारम्भ से ही संशोधित समझे जायेंगे ।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–729 (1)/XXVII(7)35(3)/2013 TC तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1: समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3: समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4: निदेशक, एन,आई,सी, देहरादून।
5: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल.एन.पन्त)
अपर सचिव

(70)

संख्या– 732 /xxvii(7)40(1)/2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 25 सितम्बर, 2013

विषयः **वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/ 2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन–संरचना की व्यवस्था के अन्तर्गत "**स्केल–टू–स्केल**" सामान्य पुनरीक्षण में अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2/रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य किया गया है और तदनुसार ही वेतन–पुनरीक्षण हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 में सन्दर्भित संलग्नक–2 में फिटमेंट तालिका भी संलग्न की गयी है। तत्पश्चात् अग्रेतर शासनादेश संख्या–67/xxvii (7) 40(2) / 2012 दिनांक 13 अप्रेल, 2012 के साथ, जो फिटमेंट तालिकायें (02) संलग्न की गयी हैं उनमें से "**फिटमेंट तालिका–1**" उस दशा में लागू है, जब उपर्युक्त अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 से भिन्न अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500–10500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2/रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 शासन द्वारा संशोधनोपरान्त दिनांक 01.01.2006 से ही काल्पनिक अथवा वास्तविक रूप में अनुमन्य किया जाय, किन्तु जब किसी पद के संदर्भ में पूर्व के "**स्केल–टू–स्केल**" सामान्य पुनरीक्षण में पुनर्विचारोपरान्त संशोधन करते हुये दिनांक 01.01.2006 से ही काल्पनिक अथवा वास्तविक रूप में उपर्युक्त अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2/रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 (संशोधित) अनुमन्य किये जाने की दशा–विशेष, जहॉ उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा पूर्व में यथा समय किया गया "स्केल–टू–स्केल" पुनरीक्षण ऐसे संशोधन के फलस्वरूप निष्प्रभावी (अकारक) हो जाय, में तत्सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण में संशोधन अर्थात् तदनुसार वेतन–निर्धारण हेतु यथा आवश्यक फिटमेंट तालिका उपलब्ध (निर्गत) नहीं है।

2– ऐसी स्थिति–विशेष में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं अग्रेतर शासनादेश संख्या–27/xxvii(7) (स्प0–1)/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009, संख्या– 67/xxvii(7)40(2)/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012, संख्या 689/ xxvii (7) 30 (1) /2008 दिनांक 11 सितम्बर 2013 एवं संख्या 697/xxvii (7) 30 (1) /2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 के क्रम में **अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2/रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 01.01.2006 से ही (काल्पनिक अथवा वास्तविक) अनुमन्य होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प के आधार पर वेतन पुनरीक्षण हेतु श्री राज्यपाल संलग्न "फिटमेंट तालिका" के अनुसार यथा प्रकिया वेतन–निर्धारण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

(71)

3— उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 को इस सीमा तक संशोधत समझा जायेगा।

4— सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/राज्य आन्तरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय परीक्षण/आडिट कराकर, तदनुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा और यदि कहीं वेतन–भत्ते आदि में अधिक धनराशि के भुगतान की स्थिति बनती है, तो यथा स्थिति प्रचलित प्रकियानुसार समायोजन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि (फिटमेंट–तालिका)।

भवदीय,

(सकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 732 (1)/xxvii(7)40(1)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–732/XXVII(7)40(1)/2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का संलग्नक
(फिटमेंट तालिका)

अपुनरीक्षित वेतनमान: रू0 5500–175–9000	पुनरीक्षित वेतनमान (सादृश्य पी.बी.2 / रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600)		
मूल वेतन (रू0)	वेतन–बैण्ड में वेतन (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	मूल वेतन (रू0)
5500	12540	4600	17140
5675	12540	4600	17140
5850	12540	4600	17140
6025	12540	4600	17140
6200	12540	4600	17140
6375	12540	4600	17140
6550	12540	4600	17140
6725	12540	4600	17140
6900	12840	4600	17440
7075	13160	4600	17760
7250	13490	4600	18090
7425	13820	4600	18420
7600	14140	4600	18740
7775	14470	4600	19070
7950	14790	4600	19390
8125	15120	4600	19720
8300	15440	4600	20040
8475	15770	4600	20370
8650	16090	4600	20690
8825	16420	4600	21020
9000	16740	4600	21340
9175	17070	4600	21670
9350	17400	4600	22000
9525	17720	4600	22320

(73)

संख्या– /XXVII(7)30(1)/20

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर 2013

विषयः वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–395 /XXVII/(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की दिनांक 01.01.2006 के पश्चात किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत/संशोधित होने की दशा में वेतन–निर्धारण विषयक है, जिसमें उल्लेख है कि यदि संशोधन/उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन बैण्ड में भी परिवर्तन हो रहा है, तो केवल वेतन बैण्ड परिवर्तित होगा तथा ग्रेड वेतन/पद की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था में दिनांक 01.01.2006 अथवा उसके बाद की किसी तिथि से उच्चीकरण/संशोधन अर्थात् किसी पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन)परिवर्तित होने की दशा में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो भाग–2 से 4 के मूल नियम–23(1)के अनुसार संबंधित पद धारकों को विकल्प का अवसर उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनका वेतन कम निर्धारित होने की भी संभावना हो सकती है।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त ऐसे मामलों में, जहाँ वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) का उच्चीकरण/संशोधन दिनाक 01.01.2006 अथवा उसके पश्चात् की किसी तिथि से लागू किया जाय, वहाँ श्री राज्यपाल विकल्प की सुविधा एवं वेतन–निर्धारण की प्रकिया के विषय में निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) विकल्प की सुविधाः–

(क) ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित निर्णय के कम में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर संबंधित पद धारक द्वारा, उच्चीकरण/संशोधन की तिथि अथवा अपनी अगली/अनुवर्ती वेतन–वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु, अपना विकल्प प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) इसी प्रकार ऐसे उच्चीकरण/संशोधन से संबंधित जो शासनादेश पूर्व में ही निर्गत हो चुके हैं,उनसे आच्छादित पदधारकों, जिन्हें पूर्व में यदि विकल्प की सुविधा अनुमन्य न हो सकी हो, द्वारा भी इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपना विकल्प, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ग) उपर्युक्तानुसार एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के प्रसंग में वेतन–निर्धारण हेतु अन्तिम होगा और उनके विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिक के वेतन में अन्तर की स्थिति "पारस्परिक वेतन में विसंगति" नहीं मानी जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त न होने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन लागू होने के तिथि को ही, उनका विकल्प मानते हुए वेतन–निर्धारण किया जायेगा, जिसमें परिवर्तन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन–निर्धारण की प्रकियाः–

(क) दिनांक 01.01.2006 से उच्चीकरण/संशोधनः–यदि वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) में उच्चीकरण/संशोधन पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने की तिथि 01.01.2006 से ही काल्पनिक अथवा वास्तविक रूप में प्रभावी किया गया हो, तो यह मानते हुये कि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) निष्प्रभावी (अकारक) हो गया है और जिसका स्थान यथा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन) ने उसी तिथि (01.01.2006) से ले लिया है, संबंधित कार्मिक का वेतन उसके विकल्प के आधार पर उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6 में निहित व्यवस्था के कम में सुसंगत फिटमेंट तालिका (यथा संशोधित) अथवा किसी मामले में उच्चीकरण/संशोधन के फलस्वरूप बाद में जारी की गयी फिटमेंट तालिका (यथा स्थिति) के अनुसार ही किया जायेगा।

(ख) दिनांक 01.01.2006 के बाद की तिथि से उच्चीकरण/संशोधनः– यदि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त शासनादेश दिनांक17.10.2008 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था/फिटमेंट तालिका के अनुसार वेतन–निर्धारण हो जाने के बाद अर्थात् दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किया गया हो, तो उस स्थिति में उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत संबंधित पदधारक द्वारा प्रस्तुत विकल्प अथवा उसके विकल्प के अभाव में ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से माने गये विकल्प के आधार पर वेतन का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः–

(एक) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि से ही वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने अथवा निर्धारित अवधि के बाद उसका विकल्प उक्तानुसार मान लिये जाने की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि को उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन और तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड अनुमन्य होगा किन्तु वेतन–बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा :

परन्तु,

यदि पूर्व से प्राप्त वेतन–बैण्ड में वेतन उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7)सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड –वेतन से कम होता है, तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार वेतन–निर्धारण के पश्चात् उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन में अगली वेतन वृद्धि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं उसके कम में अग्रेतर शासनादेश संख्या–27/XXVII(7) (स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 6 माह की अर्हकारी सेवा–अवधि पूरी होने के बाद ही देय होगी।

(दो) संबंधित कार्मिक द्वारा ऐसे उच्चीकरण/संशोधन के लागू होने की तिथि के बाद पड़ वाली अपनी (पूर्व की) वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जा की दशा में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन–निर्धारण नहीं किया जायेगा अर्थात् वेतन–बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत रहेगा, बल्कि उसके विकल्प के आधार प उसकी वेतन–वृद्धि की तिथि को पूर्ववत् सामान्य वेतन–वृद्धि देते हुये वेतन–बैण्ड में आगणित वेतन और उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन, तदनुसार सुसंगत वेतन–बैण्ड के साथ अनुमन्य होगा :

परन्तु,

यदि इस प्रकार आगणित वेतन–बैण्ड में वेतन ऐसे उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन के प्रसंग में दिनांक 01.01.2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिये शासनादेश संख्या–41/xxvii(7) सी.भर्ती/2009, दिनांक 13.02.2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार निर्धारित होने वाले न्यूनतम बैण्ड–वेतन से कम होता है, तो उसे भी उस स्तर तक बढ़ाकर, वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कर्यालयाध्यक्ष/राज्य आन्तरिक लेखा–परीक्षक द्वारा यथा समय आडिट/परीक्षण कराकर विभागों में, तदनुसार सही वेतन–निर्धारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–697/xxvii(7)30(1)/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें –सह– स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव

(76)

संख्या– 689 /xxvii(7)3०(1)/08

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर, 2013

विषयः वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन–निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–395 /XXVII/(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6 में संदर्भित संलग्नक–2 की कतिपय फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व लागू निम्नलिखित वेतनमानों (अपुनरीक्षित) में प्रारम्भिक वेतन–स्तरों (सोपानों) पर सेवारत कार्मिकों का दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में निर्धारित होने वाला वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए शासनादेश संख्या–41/XXVII/(7) सी0 भर्ती /2009, दिनांक 13 फरवरी 2009 में उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार यथा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम निर्धारित होने की स्थिति शासन के संज्ञान में आयी है।

2– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त स्थिति–विशेष में प्रश्नगत विसंगति के समुचित निराकरण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन–तालिका के अनुसार सीधी भर्ती के प्रसंग में अनुमन्य ''न्यूनतम वेतन'' को संज्ञान में लेते हुये सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के साथ संलग्न की गयी फिटमेंट तालिकाओं में से निम्नलिखित 05 फिटमेंट तालिकाओं, जिनमें प्रारम्भिक स्तरों (सोपानों) पर कतिपय संशोधन आवश्यक पाया गया है, के स्थान पर इस शासनादेश के साथ संलग्न की जा रही संशोधित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	दि0 01.01.2006 के पूर्व लागू वेतनमान अपुनरीक्षित) रू0	दि0 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना सादृश्य वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन रू0
1	2	3	4
1	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1/5200–20200	2000
2	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1/5200–20200	2400
3	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1/5200–20200	2800
4	10000–325–15200	वेतन बैण्ड–3/15600–39100	6600
5	16400–450–20000	वेतन बैण्ड–4/37400–67000	8900

3– उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नकः– उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः 2

संख्या– \ /xxvii(7)30(1)/08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2: प्रमुख सचिव/ सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3: प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4: प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5: रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6: स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7: पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11: वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12: निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या– ६४९ /XXVii(7),३४(7)/०८ उदे०-11/09/2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

–1–

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
3,200	6,460	2,000	8,460
3,285	6,460	2,000	8,460
3,370	6,460	2,000	8,460
3,455	6,460	2,000	8,460
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

79

शासनादेश संख्या– 689 /XXVii(7)30(1)/08 दि०-11/09/ 2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
4,000	7,510	2,400	9,910
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	12,450
5,500	10,230	2,400	12,630
5,600	10,420	2,400	12,820
5,700	10,610	2,400	13,010
5,800	10,790	2,400	13,190
5,900	10,980	2,400	13,380
6,000	11,160	2,400	13,560
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

(80)

शासनादेश संख्या– 689 /XXVii(7)30(1)/08 दि०-11/09/2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
4,500	8,560	2,800	11,360
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

(81)

शासनादेश संख्या- 689 /XXVii(7) 30(1)/08 दि- 11/09/2013 का संलग्

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

-4-

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + Rs.6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
10,000	18,750	6,600	25,350
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

शासनादेश संख्या– 689 /XXVii(7)30(1)/08 दि०-11/09/2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs.37400-67000 + Rs.8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
16,400	40,200	8,900	49,100
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

(83)

संख्या: 588/xxvii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः01 जुलाई, 2013

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग का पुनर्गठन।

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्याः–108/xxvii(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई 2006, एवं पत्र संख्याः–408/xxvii(7)27(3)/2013, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित पूर्व निर्णयों के आंशिक संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विचारोपरान्त प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग को तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	संस्तुत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	30	(एक) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएंः– (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आंठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

					कर ली हो: परन्तु, यदि उक्तानुसार पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता हो अथवा पोषक संवर्ग में ऐसे पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली है और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	20	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	15	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5.	वाहन चालक विषेश श्रेणी	–	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600	10	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस का ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2– उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर प्रथमतः एक मुश्त समायोजन एवं तत्पश्चात् भर्ती/पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था सुसंगत सेवानियमावली में संशोधन (यथास्थिति) करके निर्धारित की जायः–

"संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान व्यवस्था में निम्न स्तर (ग्रेड वेतन) के पद पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रथमतः पुनर्गठन की तिथि से एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। एक मुश्त समायोजन की यह सुविधा एक बार ही दी जायेगी और ऐसे समायोजित होने वाले पद धारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन–निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था(यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

तत्पश्चात् रिक्त पदों को, संबंधित पद हेतु उक्तानुसार संशोधित रूप में निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

3– कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–562/xxvii(7)50(49)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव, वित,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून: दिनांक १२ जून, 2013

विषय: दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रकिया से संबंधित शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–41/xxvii(7) सी0भर्ती0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त किसी कार्मिक के योगदान की तिथि के बाद की किसी तिथि से शासन द्वारा संबंधित पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप देय उच्चीकृत ग्रेड वेतन और उसके साथ बैण्ड वेतन भी, यदि उच्चीकरण की तिथि को उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में उल्लिखित तालिका के अनुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन के संदर्भ में सीधी भर्ती हेतु यथा निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन की तुलना में निम्न होता है, तो उच्चीकरण की तिथि से उस सीमा तक बढ़ाकर अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– ऐसे प्रत्येक प्रकरण में विभागीय स्तर पर वेतन निर्धारण हेतु औपचारिक आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् अगली वेतन वृद्धि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 562(1)/xxvii(7)50(49)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव।

(88)

संख्या–571/xxvii(7)27(14)/2012

प्रेषक,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव, वित,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांक०6जून, 2013

विषयः राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता पद के वेतनमान का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता पद के वर्तमान वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 उच्चीकृत/संशोधित करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से नोशनली तथा दिनांक 01 मार्च, 2013 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्तानुसार लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रशासकीय विभाग आलेख सहित प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रस्तुत करके यथा अपेक्षित शासनादेश शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

89

संख्याः 450/ xxvii(7)30(4)/2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2013

विशयः– लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है के कार्मिको के वेतन से संहत सीमा हटाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 287/xxvii(7)का0प्रभा0/2009 दिनांक 12 नवम्बर 2009, संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 एवं संख्या 574/ xxvii(7)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान है, के कार्मिको का वेतन पुनरीक्षण एवं अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभाग जहां कार्यप्रभारित अधिष्ठान हैं, के कार्मिको के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 287/xxvii(7)का0प्रभा0 /2009 दिनांक 12 नवम्बर 2009, संख्या 511/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 एवं संख्या 574/xxvii (7)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010 के कॉलम–6 में इंगित वेतन सीमा निम्नानुसार हटाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

मौजूदा सशोधित वेतन संरचना			संशोधित वेतनमान (रूपये में)	
क्र0 सं0	वेतनमान (रूपये में) जिसके आधार पर संहत वेतन निर्धारित था	दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व वेतनमान में निर्धारित संहत वेतन सीमा (रूपये में)	वेतन बैण्ड /वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	2550–3200	3200	–1 एस	4440–7440
2.	2610–3540	3540	–1 एस	4440–7440
3.	2650–4000	4000	–1 एस	4440–7440
4.	2750–4400	4400	–1 एस	5200–20200
5.	3050–4590	4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200
6.	3200–4900	4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200
7.	4000–6000	6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200
8.	4500–7000	7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200
9.	5000–8000	8000	वेतन बैण्ड–1	9300–34800

2– उक्तानुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2010 में विद्यमान शेष व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या५५०(1)/XXVII(7)30(4)/2013 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. लोक निमार्ण विभाग, सिंचाई विभाग एंव अन्य अनुभाग जहां कार्यप्रभारित कार्मिक कार्यरत हैं।
7. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव।

संख्याः408/XXVii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07

देहरादूनःदिनांकः 08 फरवरी, 2013

विषयः–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः– 108/xxvii(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई, 2006 द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को 04 ग्रेडों में रखा गया है।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य की भांति पद एवं वेतनमान की तुलनीयता के आधार पर प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को 04 ग्रेडों के स्थान पर 05 ग्रेडों में निम्नानुसार रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	संस्तुत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4500 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	3050–4590 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	30	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	4000–6000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	4500–7000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	25	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन

					चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेव पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–6000 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	5000–6000 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	10	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5–	वाहन चालक विशेष श्रेणी	–	6500–10500 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600	05	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी जिन्होंने ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन निम्न विवरण के अनुसार किया जायेगा:–

क0सं0	वाहन चालकों की सं0	पुर्नगठन के फलस्वरूप पदों की संख्या				
		वाहन चालक ग्रेड–4 रू0 3050–4590 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	वाहन चालक ग्रेड–3 रू0 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वाहन चालक ग्रेड–2 रू0 4500–7000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	वाहन चालक ग्रेड–1 रू0 5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वाहन चालक विशिष्ट श्रेणी रू0 6500–10500 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1–	1	1	–	–	–	–
2–	2	1	1	–	–	–
3–	3	1	1	1	–	–
4–	4	1	1	1	1	–
5–	5	1	1	1	1	1
6–	6	2	1	1	1	1
7–	7	2	2	1	1	1
8–	8	2	2	2	1	1
9–	9	3	2	2	1	1

(3) उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संशोधन वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

(93)

संख्याः 406/ XXVii(7)27(2)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07

देहरादूनःदिनांकः 08 फरवरी, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः– 373/XXVii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य किया गया है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त लाभ दिनांक 01–04–2013 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्याः– 373/XXVii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

(9.4)

संख्याः– 406 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालच के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

(95)

संख्याः397/xxvii(7)14(5)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादूनःदिनांकः31 जनवरी, 2013

विषयः—प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें वाहन चालक ग्रेड—1 के पदों पर समायोजित किये जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः— 226/xxvii(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त 2007 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर—2 द्वारा वाहन चालक ग्रेड—1 के पदो के सापेक्ष समायोजित हुये वाहन चालकों के वर्तमान पदधारकों का उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण हेतु की गई व्यवस्था से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 22 अगस्त 2007 के प्रस्तर—2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहस्वीकृति प्रदान करते हैः—

"उपर्युक्त पदो के वर्तमान पदधारकों का वाहन चालक ग्रेड—1 के पद पर समायोजन/पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2, भाग—2 के मूल नियम 22 बी(i) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा"।

2— उपर्युक्त शासनादेश संख्याः— 226/xxvii(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

(96)

संख्याः 397/(1)/ xxvii(7)14(5)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालच के समस्त अनुभाग।
12. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डेय)
अपर सचिव।

97

संख्याः ~ / XXVII(7)27(2) / 2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादूनःदिनांकः/6 जनवरी, 2013

विषयः— उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200—20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300—34800 ग्रेड पे ₹4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4800
6	—	—	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600—39100 ग्रेड पे ₹5400

2— कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000—3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर—79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹15600—39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3— लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4— उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01—04—2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

(98)

संख्याः-373 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें-सह-स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।